



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275385
CG-DL-E-11082026-275385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948

No. 656]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 720(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के तहत जी.एस.आर 904 (ई), दिनांक 17 दिसंबर, 2025 में प्रकाशित घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति-2025 के परिशिष्ट-क में निम्नलिखित संशोधन, आम सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:

घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति के परिशिष्ट-क में, एचएस कोड 7301, 7302, 7303 और 7308 से 7326 के लिए, "50% घरेलू मूल्य संवर्धन" की मौजूदा आवश्यकता को "मेल्ट एंड पोर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तदनुसार, उपरोक्त संशोधन को शामिल करते हुए डीएमआईएंडएसपी नीति का संशोधित परिशिष्ट-क नीचे दिया गया है:

परिशिष्ट-क

लौह एवं इस्पात उत्पादों की सूची जिनकी अधिप्राप्ति केवल घरेलू स्रोतों से ही की जा सकती है:-

क्र.सं.	लौह एवं इस्पात उत्पाद	एचएस कोड	स्थिति
1	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के फ्लैट रोलड उत्पाद, हॉट रोलड, नॉट क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड	7208	मेल्ट एंड पोर

2	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के फ्लैट रोलड उत्पाद, कोल्ड रोलड(कोल्ड रिड्यूज्ड), नॉट क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड	7209	मेल्ट एंड पोर
3	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट-रोलड उत्पाद, क्लेड, प्लेटेड हुआ अथवा कोटेड	7210	मेल्ट एंड पोर
4	600 मि.मी. से कम चौड़ाई वाले लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट-रोलड उत्पाद, नॉट क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड	7211	मेल्ट एंड पोर
5	600 मि.मी. कम की चौड़ाई का लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट रोल उत्पाद, क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड	7212	मेल्ट एंड पोर
6	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के अनियमित वुंड क्वाइल्स में बार्स और रॉड, हॉट रोलड	7213	मेल्ट एंड पोर
7	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के अन्य बार्स और रॉड्स जिसे फोर्ज किए जाने की तुलना में आगे अधिक वर्क नहीं किया हुआ, हॉट रोलड, हॉट-ड्रॉन अथवा हॉट एक्सट्रूडेड, परंतु रोलिंग के बाद उसे टिविस्ट किये जाने सहित	7214	मेल्ट एंड पोर
8	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के अन्य बार्स एंड रॉड्स	7215	मेल्ट एंड पोर
9	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात के एंगल, शेप और सेक्शनस	7216	मेल्ट एंड पोर
10	लौह अथवा गैर-मिश्रधातु इस्पात की वायर	7217	मेल्ट एंड पोर
11	600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई का स्टेनलैस स्टील केफ्लैट-रोलड उत्पाद	7219	मेल्ट एंड पोर
12	600 मि.मी. से कम चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील केफ्लैट-रोलड उत्पाद	7220	मेल्ट एंड पोर
13.	स्टेनलैस स्टील का अनियमित रूप से वुंड क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोलड	7221	मेल्ट एंड पोर
14	स्टेनलैस स्टील के अन्य बार्स और रॉड्स; स्टेनलैस स्टील का एंगल शेप और सेक्शनस	7222	मेल्ट एंड पोर
15	स्टेनलैस स्टील की वायर	7223	मेल्ट एंड पोर
16	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि.मी. अथवा उससे अधिक की चौड़ाई वाले अन्य मिश्र धातु इस्पात का फ्लैट-रोलड उत्पाद	7225	मेल्ट एंड पोर
17	इलेक्ट्रिकल स्टील सहित 600 मि.मी. से कम की चौड़ाई वाले अन्य मिश्रधातु इस्पात का फ्लैट-रोलड उत्पाद	7226	मेल्ट एंड पोर
18	अन्य मिश्रधातु इस्पात का अनियमित रूप से वुंड क्वाइल में बार्स और रॉड, हॉट रोलड	7227	मेल्ट एंड पोर
19	अन्य मिश्रधातु इस्पात का अन्य बार्स और रॉड्स; अन्य मिश्रधातु इस्पात का एंगल, शेप्स और सेक्शनस; एलॉय अथवा गैर- मिश्रधातु इस्पात का हॉलो ड्रिल बार्स और रॉड्स	7228	मेल्ट एंड पोर
20	अन्य मिश्रधातु इस्पात के तार	7229	मेल्ट एंड पोर
21	लौह अथवा इस्पात की शीट पाइलिंग, चाहे ड्रिल किया हो, चाहे पंच किया हुआ, चाहे असेम्बल किये हुए तत्वों से बना हुआ हो; लौह अथवा इस्पात का वेल्ड किया हुआ एंगल, शेप और सेक्शनस	7301	मेल्ट एंड पोर
22	लौह अथवा इस्पात सेबनी रेल, रेलवे अथवा ट्रामवे ट्रेक निर्माण सामग्री	7302	मेल्ट एंड पोर
23	कास्ट लौह के ट्यूब, पाइप और हॉलो पाइप	7303	मेल्ट एंड पोर
24	लौह (कास्ट आयरन को छोड़कर) अथवा इस्पात के ट्यूब पाइप और हॉलो प्रोफाइल, सीमलैस	7304	50% घरेलू मूल्य संवर्धन

25	लौह अथवा इस्पात के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले अन्य ट्यूब और पाइप (उदाहरण के लिए, वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया हुआ), जिसकी बाहरी त्रिज्या 406.4 मि.मी. से अधिक हो	7305	50% घरेलू मूल्य संवर्धन
26	लौह अथवा इस्पात के अन्य ट्यूब, पाइप और हॉलो प्रोफाइल (उदाहरण के लिए ओपन सीन अथवा वेल्ड किया हुआ, रिबेट किया हुआ अथवा समान रूप से बंद किया गया हुआ)	7306	50% घरेलू मूल्य संवर्धन
27	लौह अथवा इस्पात के ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग (उदाहरण के लिए, कनेक्टर/कप्लिंग, एल्बो स्लीव्स)	7307	50% घरेलू मूल्य संवर्धन
28	स्ट्रक्चर्स (9406 के शीर्ष का प्रीफेब्रिकेटेड भवनों को छोड़कर) और स्ट्रक्चर्स का हिस्सा	7308	मेल्ट एंड पोर
29	300 लीटर से अधिक क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा तरलीकृत गैस को छोड़कर) के लिए भंडार, टैंक, बैट और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7309	मेल्ट एंड पोर
30	अधिक तक 300 लीटर की क्षमता का लौह अथवा इस्पात का किसी सामग्री (कम्प्रेस किए हुए अथवा तरलद्रवी गैस को छोड़कर) के लिए टैंक, कास्ट, ड्रम, केन, बॉक्स और समान कन्टेनर चाहे उसे लाइन किया गया हो अथवा नहीं या उसे हीट से इन्सुलेट किया गया हो अथवा नहीं लेकिन यांत्रिक अथवा तापीय उपक्रम से युक्त न हो	7310	मेल्ट एंड पोर
31	लौह अथवा इस्पात का कम्प्रेस किया हुआ अथवा तरलद्रवी गैस के लिए कन्टेनर	7311	मेल्ट एंड पोर
32	लौह अथवा इस्पात का स्टैंडिड वायर, रोप, केबल, प्लेटिड बैंड, स्प्रिंग और उसके समान वस्तु जिसे विद्युतीय रूप से इन्सुलेट न किया गया	7312	मेल्ट एंड पोर
33	लौह अथवा इस्पात का फेनसिंग के लिए उपयोग किये जाने वाला बाबर्ड वायर; ट्विस्ट किया हुआ हूप अथवा सिंगल फ्लेट वायर, बार्स किया हुआ अथवा नहीं और लूज तरीके से ट्विस्ट किया हुआ डबल वायर	7313	मेल्ट एंड पोर
34	लौह अथवा इस्पात वायर का ड्रिल, नेटिंग और फेनसिंग; लौह अथवा इस्पात संबंधित एक्सपैंडेड विस्तृत धातु	7314	मेल्ट एंड पोर
35	लौह अथवा इस्पात का चैन और उसका हिस्सा	7315	मेल्ट एंड पोर
36	लौह अथवा इस्पात का टैंकर, ग्रेपनेल्स और उसका हिस्सा	7316	मेल्ट एंड पोर
37	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7317	मेल्ट एंड पोर
38	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7318	मेल्ट एंड पोर
39	लौह एवं इस्पात की वस्तुएं	7319	मेल्ट एंड पोर
40	लौह अथवा इस्पात का स्प्रिंग और स्प्रिंग के लिए लीव्स	7320	मेल्ट एंड पोर
41	लौह अथवा इस्पात का स्टोव्स, रेंज, ग्रेड, कूकर (सेंट्रल हिटिंग के लिए सहायक बायलरों के साथ उन वस्तुओं सहित), वारवेक्यूज, ब्रेजियर्स, गैस रिंग, प्लेट वॉर्मर्स और समान गैर-विद्युतीय घरेलू उपकरण और उसका हिस्सा	7321	मेल्ट एंड पोर
42	लौह अथवा इस्पात का सेंट्रल हिटिंग के लिए रेडियेटर जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो और उसका हिस्सा; लौह अथवा इस्पात का हेयर हीटर और हॉट एयर वितरक जिसे विद्युतीय रूप से हीट न किया गया हो, फेन अथवा ब्लोअर जो मोटर से चलती हो और उसके हिस्से को शामिल करते हुए	7322	मेल्ट एंड पोर
43	लौह अथवा इस्पात के टेबल और समान घरेलू वस्तुएं और उसके पार्ट्स	7323	मेल्ट एंड पोर
44	लौह अथवा इस्पात के सेनेटरी वेयर और उसके पार्ट्स	7324	मेल्ट एंड पोर

45	लौह अथवा इस्पात की अन्य कास्ट वस्तुएं	7325	मेल्ट एंड पोर
46	लौह अथवा इस्पात के इलेक्ट्रीकल स्टील और अन्य वस्तुएं	7326	मेल्ट एंड पोर
47	रेलवे अथवा ट्रामवे पैसेंजर कोच, जो स्व-चालित नहीं है	8605	50% घरेलू मूल्य संवर्धन
48	रेलवे अथवा ट्रामवे गुड्स वेन और वेगेन, जो स्व-चालित नहीं है	8606	50% घरेलू मूल्य संवर्धन
49	रेलवे अथवा ट्रामवे लोकोमोटिव्स के पार्ट्स अथवा रोलिंग-स्टॉक जैसे बोगिज, बिसल-बोगिज, एक्सेल और फोर्जव्हील और उसके पार्ट्स	8607	50% घरेलू मूल्य संवर्धन

उपर्युक्त मामलों में 'मेल्ट एंड पोर' का अर्थ यह होगा कि इन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त इस्पात 'मेल्ट एंड पोर' की परिभाषा का अनुपालन करेगा और उत्पादन पूरी तरह से देश के भीतर ही किया जाएगा।

2. परिशिष्ट-क सहित डीएमआईएंडएसपी नीति, 2025 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

[फा.सं. 8(2)/2023-आईडी-1]

अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

G.S.R. 720(E).— The following amendment to Appendix-A of the Domestically Manufactured Iron & Steel Products Policy-2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 904(E), dated 17th December, 2025, is hereby published for general information:

In Appendix-A of the Domestically Manufactured Iron & Steel Products (DMI&SP) Policy, against HS Codes 7301, 7302, 7303 and 7308 to 7326, the existing requirement of “50% Domestic Value Addition” shall be substituted with “Melt & Pour”. Accordingly, the revised Appendix-A of the DMI&SP Policy, incorporating the above amendment, is reproduced below:

Appendix-A

List of iron and steel products which can only be procured from domestic sources

Sl. No.	Iron & Steel Products	HS Code	Condition
1	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot rolled, not clad, plated or coated	7208	Melt & Pour
2	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated	7209	Melt & Pour
3	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated	7210	Melt & Pour
4	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated	7211	Melt & Pour
5	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated	7212	Melt & Pour
6	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel	7213	Melt & Pour
7	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling	7214	Melt & Pour

8	Other bars and rods of iron or non-alloy steel	7215	Melt & Pour
9	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel	7216	Melt & Pour
10	Wire of iron or non-alloy steel	7217	Melt & Pour
11	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more	7219	Melt & Pour
12	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm	7220	Melt & Pour
13	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel	7221	Melt & Pour
14	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel	7222	Melt & Pour
15	Wire of stainless steel	7223	Melt & Pour
16	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more, including electrical steel	7225	Melt & Pour
17	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm, including electrical steel	7226	Melt & Pour
18	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel	7227	Melt & Pour
19	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel	7228	Melt & Pour
20	Wire of other alloy steel	7229	Melt & Pour
21	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel	7301	Melt & Pour
22	Rails, railway or tramway track construction material of iron or steel	7302	Melt & Pour
23	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron	7303	Melt & Pour
24	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	7304	50% Domestic Value Addition
25	Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel	7305	50% Domestic Value Addition
26	Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel	7306	50% Domestic Value Addition
27	Tube or pipe fittings (for example, connectors/couplings, elbow sleeves), of iron or steel	7307	50% Domestic Value Addition
28	Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures	7308	Melt & Pour
29	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 L, whether or not lined or heat insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment	7309	Melt & Pour
30	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 L, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment	7310	Melt & Pour
31	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel	7311	Melt & Pour
32	Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated	7312	Melt & Pour
33	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel	7313	Melt & Pour
34	Grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel	7314	Melt & Pour
35	Chain and parts thereof, of iron or steel	7315	Melt & Pour
36	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel	7316	Melt & Pour
37	Articles of iron and steel	7317	Melt & Pour
38	Articles of iron and steel	7318	Melt & Pour
39	Articles of iron and steel	7319	Melt & Pour
40	Springs and leaves for springs, of iron or steel	7320	Melt & Pour
41	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel	7321	Melt & Pour
42	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors, not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel	7322	Melt & Pour
43	Tables and similar household articles and parts thereof, of iron or steel	7323	Melt & Pour
44	Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel	7324	Melt & Pour
45	Other cast articles of iron or steel	7325	Melt & Pour

46	Electrical steel and other articles of iron or steel	7326	Melt & Pour
47	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled	8605	50% Domestic Value Addition
48	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled	8606	50% Domestic Value Addition
49	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as bogies, bissel-bogies, axles and forged wheels, and parts thereof	8607	50% Domestic Value Addition

'Melt & Pour' in the above cases shall mean that the steel used in producing these products shall comply with the definition of 'melt & pour'; and the product shall be entirely made within the country.

2. All other provisions of the DMI&SP Policy, 2025, including Appendix-A, shall remain unchanged.

[F. No.8(2)/2023-ID-I]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.